महिला सशक्तीकरण आज के परिप्रेक्ष्य में

डॉ0 सुनीता शर्मा
एसोसिएट प्रोफेसर हिन्दी विभाग सेन्ट जॉन्स कॉलजे, आगरा

नारी का मानव सृष्टि निर्माण मे ंही नहीं वरन् देश और समाज के निर्माण मे ंभी एक महत्वपर्ण योगदान रहा है। जहाँ एक ओर नारी और पुरूष मिलकर परिवार का निर्माण करते हैं, वहीं आदि काल से लेकर आज तक विकास एवं प्रगति के आधार स्त्री पुरूष का बराबर का योगदान रहा है। प्राचीन काल मे ंनारियाँ पुरूषो ंके कंधे से कंधा मिलाकर वेद–पाठ किया करती थी। गार्गी, अपाला, अनसुइया, घोषा, मुद्रा आदि उल्लेखनीय नाम है जो सशक्तीकरण का पर्याय रही है। ''यंत्र–नार्यस्तु पूज्यतें रमन्ते तत्र देवतः'' कहकर महात्मा मनु ने महिला सशक्तीकरण को सबलता प्रदान की है। नारी मानव समाज का अभिन्न अंग है। इसलिए माना जाता है कि नारी के उत्थान के साथ ही देश और समाज का उत्थान स्वमेव ही होने लगता है। नारी शक्ति को बाधित और प्रतिबधित रखने के कारण ही हमारे देश ने पिछली लंबी दासताएँ भोगी है। जहाँ शिल्पी बदी है, दीन–हीन है तो वह शिल्प रचना क्या करेगा। सृष्टा ही दीवारों में कैद है तो उसका सृजन में क्या योगदान होगा। दार्शनिक 'अरस्तु' ने नारी गरिमा का बोध कराने के लिए कहा था– ''नारी की उन्नति या अवनति पर ही राष्ट्र की उन्नति या अवनति निर्भर है। वास्तव में यदि जीवन को नारी की देन कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योकि नारी केवल समाज की आधारशिला ही नहीं अपितु वह भित्ति है, जिस पर भावी समाज रूपी प्रसाद का निर्माण होता है। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद ने कहा है– ''कि समाज के आधुनिक निर्माण मे ंनारियों का वही स्थान है जो कि शरीर में रीढ़ की हड्डी का। महिलाओ ंका सशक्त होना केवल उनके हित मे ंही नहीं वरन् पुरूषों एवं सम्पूर्ण समाज तथा राष्ट्र के हित मे ंहै। कोई भी समाज या राष्ट्र महिलाओ ंकी स्वतन्त्रता एवं उनकी उन्नति के बिना सम्पूर्ण विकास नहीं कर सकता। इसलिए देश को समानान्तर स्थिति में पहुँचाने के लिए दोनों वर्गो ं(स्त्री और पुरूष) को समान रूप से शक्ति और अधिकार प्रदान किये जायें। सशक्तीकरण का अभिप्राय है, शक्ति, प्रदान करना अर्थात् शारीरिक एवं मानसिक
गतिविधियाँ के सम्पादन की क्षमता प्रदान करने में विस्तार पाना ही सशक्तीकरण है। महिलाओ ं का स्वविकास ही उनके सशक्तीकरण को इंगित करता है। महिला शब्द सस्कृत के मह धातु स ेइलच्+टाप् प्रत्यय करने पर बनता है जिसका अर्थ है सबके द्वारा सम्मानीय।

डेविड जूरी एवं जूलिया जेरी के शब्दों मे ं''यह एक सामान्य विश्वास है कि महत्वपर्ण सामाजिक परिवर्तनों की परिणति महिलाओ ंकी मुक्ति मे ंहो सकती है। वर्तमान समय में नारीवाद एक जीवन्त और परिलक्षित आंदोलन है।'' नारीवाद वह अवधारणा है जो नारी को उसका उचित स्थान और प्रतिष्ठा दिलाने की पक्षधर है।

नारी के पराभव पद्दलन का काल लद गया। उसके लिए हर क्षेत्र में प्रगति के द्वार खुल गये है। भारतीय नारी भी इस सुअवसर का लाभ उठाने में पीछे नहीं है। यह समाज के भाग्योदय का चिन्ह् है। यद्यपि प्रत्येक देश में महिलाओ ंको अधिक से अधिक स्वतन्त्रता एव ंसुरक्षा सम्बन्धित अधिकार प्रदान करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे है, लेकिन इसके बावजूद भी विश्व मे ंऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँ पर महिलाएँ अपने आपको सुरक्षित महसूस कर रही हो। सदैव से यातना एवं शोषण की शिकार रही महिलाओं के उन्नयन हेतु विश्व स्तर पर पिछली बार संगठित प्रयास 1903 में अमेरिका मे वमेन ट्रेड यूनियन के गठन के साथ प्रारम्भ हुआ। कुछ अथक प्रयास से 1910 में अमेरिका में महिला दिवस मनाये जाने का मुद्दा उठाया गया। संयुक्त राष्ट्र सघं द्वारा इसके लिए 8 मार्च की तिथि निश्चित की गई। अंतराष्ट्रीय स्तर पर महिलाओ ंके सशक्तीकरण में इस दिवस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पाँचवें दशक में संयुक्त राष्ट्र सघं द्वारा मानवाधिकारो ंकी घोषणा के साथ ही महिलाओ ंके लिए विश्व स्तर पर समानता की बात उठी। महिलाओ ंके अधिकारों को बढ़ावा देने तथा लिंग भेदभाव समाप्त करने में सयुंक्त राष्ट्र सघं 1960 में महिला

दिवस की 50 वीं वर्षगांठ पर महिलाओ ंको राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारों में वृद्धि करने की घोषणा को स्वीकृति प्रदान की गई।

1985 मे ंनैरोबी में सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में सशक्तीकरण को परिभाषित किया गया। महिला सशक्तीकरण से तात्पर्य महिलाओं की पुरूषो ंके बराबर वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उनके परिवार समुदाय समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मे ंनिर्णय लेने की स्वायत्तता है। भारत मे ंमहिला सशक्तीकरण से तात्पर्य प्राथमिक रूप से महिलाओ ंकी सामाजिक एव ंआर्थिक दशा मे ंसुधार लाना है। भारत के सविधान मे ंमहिला–पुरूष, अमीर–गरीब, तथा साक्षर–निरक्षर सभी को समान रूप में सुरक्षा प्रदान की गई है। विधि के समक्ष समानता तथा शोषण युक्त समाज के लिए कटिबद्ध हमारे सविधान निर्माताओ ंने सभी का सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय देने का आश्वासन देते हुए सविधान की प्रस्तावना में ही स्पष्ट किया गया है कि सविधान के समक्ष स्त्री और पुरूष में कोई भेद नहीं है।

भारत मे ं1974 मे ंभारतीय महिलाओ ंकी स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसमे ं1975 मे ंबहेद चौकाने वाली जानकारियां उजागर की– □ निरंतर घटता लिंग अनुपात।

- जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लैंगिक आधार पर बढ़ती विषमताएँ।
- निर्णय निर्माण प्रक्रिया में महिलाओ ंकी नगण्य भागीदारी
- महिलाओ ंके विरूद्ध अपराधो ंकी निरंतर बढ़ती दर। इन तथ्यों के आधार पर भारत में स्त्री–पुरूषों में समानता के प्रयास प्रारम्भ हुए। 2001 मे ंमहिला सशक्तीकरण हेतु राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई। स्वयंसिद्धा और स्वाधार जैसे नारी सशक्तीकरण कार्यक्रमो ंकी उद्घोषणा की गई। 2001–2002 स े2007 तक दसवीं पचंवर्षीय योजना के अन्तर्गत तीन विशेष कार्यो ंपर बल दिया–महिला सशक्तीकरण, बाल–विकास, और देश की जनसंख्या। विशेषतया दुर्बल वर्गों की पोषण स्थिति मे ंसुधार के लिए गठित किये गये। महिलाओ ंका सशक्तीकरण एक लगातार चलने वाली गतिशील प्रक्रिया है जिसका एक लक्ष्य है संपोषित विकास की दशा महिलाओ ंका सामाजिक, राजनीतिक, सार्वजनिक जीवन में प्रतिनिधित्व, दक्षता मे ंवृद्धि, कार्य क्षेत्र और अन्यंत्र उनके साथ किये जा रहे बुरे व्यवहार की समाप्ति, सामाजिक सुरक्षा की प्राप्ति आदि व े कार्य है जिनकी पर्णता द्वारा सशक्तीकरण का वास्तविक लक्ष्य पाना हैं। महिलाओ ंद्वारा स्वयं के शरीर पर प्रजनन के क्षेत्र मे, आय पर श्रम शक्ति पर, सम्पत्ति पर, सामुदायिक ससांधनो ंपर नियंत्रण कर पाना उनका सबलीकरण है और यही सशक्तीकरण का उद्देश्य है। महिलाओ ंका सशक्तीकरण उन्हें नये क्षितिज दिखाने का प्रयास है, जिसमें वे कई क्षमताओं को प्राप्त कर स्वयं को नये तरीके से देखेगी और घर तथा पर्यावरण में स्वायत्तता की अनुभूति कर सकेगी। केन्द्र सरकार ने महिला सशक्तीकरण के अतिरिक्त महिला समाख्या, प्राथमिक स्तर पर बालिकाओ ंकी शिक्षा, राष्ट्रीय महिला कोष जैसे कार्यक्रमो ंपर विशेष बल दिया है।

भारत में महिलाओ ंको सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारो ं और मूल्यों को मारने वाले उन सभी राक्षसी सोच को मारना जरूरी है। जैस–ेदहेज प्रथा, अशिक्षा, यौन हिंसा, असमानता, भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, बलात्कार, वैश्यावृत्ति, मानव–तस्करी, पर्दा प्रथा, मानसिक उत्पीड़न नारी शोषण, पत्नी हिंसा, अपहरण, भगाकर ले जाना आदि। दुःख और क्षोम का विषय है कि आज भी ये समस्याएँ कही न कही पूर्णतया चरितार्थ हो रही है। समय परिवर्तन के साथ–साथ महिलाओ ंने अपने आपको पहचाना है। उन्हे ंअपनी शक्ति, महत्ता और अधिकारो ंका एहसास हुआ है। उन्होनें सिद्ध कर दिया है कि वह घर का नहीं अपितु देश की बागडोर भी सभंाल सकती है। सभी क्षेत्रों में उन्होंने अपनी प्रतिभा कौशल का लोहा मनवाया है। वह अपने प्रयोजनों में कार्यरत है, शिक्षा, कला, संस्कृति कॉर्पारेट, मीडिया का क्षेत्र हो या राजनीतिक का विज्ञान का या खेल का मैदान हो या रोजगार का या फिर लखेन जगत की बात हो या पत्रकारिता की महिलाओं ने हर क्षेत्र मे ंअपनी विजय पताका फहराई है। यहाँ तक कि पुरूष एकाधिकार वाले विभिन्न क्षेत्र जैसे–आई0टी0 इडंस्ट्री बी0पी0ओ0, चिकित्सा, प्रशासन, व्यवसाय तथा सैन्य

क्षेत्रों में भी उन्होनें अपनी धमाकेदार मौजूदगी दर्ज कराई है। कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष मे अपनी पताका फहराई है। आज उसी का परिणाम है कि अब सरकार अंतिम पायदान पर खड़ी महिलाओ के लिए भी अपने विकास मापदण्डों से परिवर्तन ला रही है। पहले महिलाओ के लिए कल्याणोन्मुखी योजनाएँ थी, तत्पश्चात्, विकास के कार्यक्रमो को बढ़ावा दिया गया। लेकिन आज महिलाओ के सशक्तीकरण की बात हो रही है। उन्हे दया का पात्र न समझ सम्प्रति प्रगति के मार्ग मे समान भागीदार माना जाने लगा है। जब हम नारी की संवेदना की बात करते है संवदेना नारी सुलभ वह गुण है जो

उसकी सोच व कार्यशैली को विशिष्ट बनाते है। कोमलता और परिपूर्णता युक्त व्यवहार उसकी विशेषताएँ है। जिनकी बदौलत वह विभिन्न क्षेत्रों में शीर्ष प्रबन्धन एवं पारदर्शिता पूर्ण नेतृत्व के लिए जिम्मेदार पदों पर उनकी आवश्यकता महसूस की जा रही है। महिलाओ पर होने वाले अत्याचारो को समाज के सामने लाने का श्रेय महिला पत्रकारो और महिला साहित्यकारो को दिया जाना चाहिए। उन्होंने घर व कार्यक्षेत्र ये महिलाओ पर होने वाले यौन उत्पीड़न, शोषण को प्रकाश में लाने की पहल की है। मानवाधीकार सबंधी मामले की कवरेज के लिए आज सवांददाताओ को प्राथमिकता दी जा रही है। कारण है कि नारी सुलभ संवेदना के कारण उनमे पीड़ितों और वचितो की मुखर आवाज बनने का उनमें हौंसला है। सांस्कृतिक चेतना और रचनात्मक सर्जना का आधार ही कोमल भाव और गहन सवेंदना है। चाहे वह कथा लेखन क्षेत्र हो, या कविता का, उपन्यास का, कैनवास का हो या नाटक का मंच अथवा अभिव्यक्ति के अन्य क्षेत्र। हर क्षेत्र मे महिलाओ ने संवेदना के स्तर पर हर पहलू को छूने की चेष्टा की है। मैत्रेयी पुष्पा और मन्नू भंडारी जैसी अनेक महान लेखिकाओं का लेखन मुक्ति का मार्ग खोजती हुई आधुनिक एवं ग्रामीण जीवन से सबंधित स्त्रियों के जीवन के विविध पहलुओ को परत दर परत बड़ी बेवाकी से उजागर किया है। फिर चाहे वह व्यक्तित्व की स्वतन्त्र सत्ता स्थापित करने की छटपटाहट हो या उसकी प्रतिक्रियावादी आक्रोश चाहे स्वेच्छाचारी पति से किनारा करने का साहस हो, या परंपरावादी रूढ़ियों को तोडने की आकुलता। यहाँ तक की यौन संबंधो को लेकर भी वह बहुत मुखर नजर आ रही है। स्त्री लेखन के केन्द्र मैं न केवल स्त्री की भयावह समस्याएँ है वरन् पितृसतात्मक मर्यादाओ की तीखी अलोचना भी है। कारण है कि स्त्री के मौन शब्द सिर्फ स्त्री ही दे सकती है। उसके तन–मन पर अंकित धावों के निशानो को पहचान उसका दर्द महससू कर सकती है। वर्तमान स्त्रीलेखन मे अपार सभांवनाएँ हैं। अनुभव और अभिव्यक्ति में शक्ति और मुक्ति के मेल से नया आलेख तैयार हो रहा है, जो वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है।

महिलाएँ केवल साहित्य मे ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर उच्च और बड़े व्यापारिक पदों पर तेजी से कब्जा जमा रही है। अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मानवीय गतिविधियो से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र मे वे उपलब्धियों के शीर्ष पर विराजमान होने के लिए नित नये सोपान तय कर रही है। भूतपूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब का मानना है कि ''देश की कुल आबादी का 48 फीसदी स्त्रियाँ है, जरूरी है कि वे जागरूक बने, क्योंकि उनके विचार, कार्यशैली, मूल्य, पद्धति, बहेतर परिवार, समाज और राष्ट्र निर्माण मे महत्वपर्ण है।'' आज की शिक्षित नारी अपने साहस और संकल्प से पुरूष के समान आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रों में प्रगति के लिए समन्वयं स्थापित कर चुकी है। नारी को चाहिए कि प्रगति में अतिवाद को प्रक्षय न दे। वह शालीन, शिष्ट,साहसी लेकिन गाँधीवादी मार्ग का अनुसरण करे। नारी सशक्तीकरण हेतु शासन द्वारा अनेकानेक सुविधाओं को मुहैया कराया गया है। आज नारी पुरूषो के एकछत्र साम्राज्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। महिला सशक्तीकरण ने महिलाओ को उच्च स्थिति में पहुँचाया है। संविधान ने भी उनके आगे बढ़ने के सारे रास्ते खोल दिये है। आसमान की ऊँचाइयो को प्राप्त कर रही है। आज वह डॉक्टर, इजीनियर, अफसर वकील ही नहीं वरन् फिल्म निर्मात्री, प्रोड्यूसर, विमान चालिका, अंतरिक्ष गामिनी होकर समाज में उभरी है। जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं है जहाँ उसके चरण न पड़े हो। वह केवल आत्मोत्थान के लिये ही घर से बाहर नहीं निकली है बल्कि अपने पिता, भाई, पति का बोझ कम करने के लिए सादिच्छा निकली है। महिलाएँ आसमान की ऊँचाइयो को छू रही है इन तथ्यों से नकारा नहीं जा सकता है, पर यह भी सच है कि तमाम कानूनो के बावजूद भी आज दहेज प्रथा जारी है। ज्यो–ज्यो तकनीक और बाजार बढ़ा है, दहेज भी बढ़ा है। आज शिक्षित एवं सभ्य कहलाये जाने वाले परिवार भी दहेज रूपी दानव से अछतू नही है। इसलिए सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना चाहिए। आज की नारी शनैः शनैः प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो रही है। फिर भी नारी की

समस्या अत्यन्त जटिल है। यह समस्या जितनी आर्थिक एव ंसामाजिक है उतनी ही आंतरिक सरंचना की थी। यह समाधाान जटिल जरूर है। यह बहुत अधिक संवेदनशील मुद्दा है। नारी जगत मे ंअधिकांशतः अशिक्षित समाज है, अशिक्षा स ेस्वस्थ चिंतन का हास होता है। समाज पुरूष प्रधान रहा है। अतः आज भी महिलाओ ंके साथ उच्छृंखला का व्यवहार समाज मे ंआये दिन दिखाई व सुनाई देता है। नारी को घरेलू हिंसा बेमले विवाह, विविध प्रकार से लांछन कायिक व वाचिक हिंसा स ेगुजरना पड़ता है। यहां तक कि नारी को विपरित परिस्थितियों में आत्महत्या के लिए बाध्य होना पडत़ा है। दहेज के अभिशाप से नारी अभी भी मुक्त नहीं है। जिसके कारण हिंसा, अत्याचार, अन्याय का शिकार होना पडता है। इसलिए सशक्तीकरण को बढावा देने के लिए सबस ेपहले सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना होगा। और इस प्रकार की सामाजिक सस्थाओं का विकास किया जाय ेकि महिलाओं पर अत्याचारो ंएवं शोषण पर सुनवाई करके न्याय दिला सके। और जन चेतना जाग्रत कर सके। कौशल विकास क्षमता बढानी चाहिए। महिलाओ ंको आर्थिक रूप स ेआत्मनिर्भर बनाना, जिससे महिलाओं को उनक ेश्रम का उचित प्रतिफल प्राप्त हो। ऋण लेना, बचत करना, बैंक से लेन–देन करना, लेखा–जोखा रखने से भी आर्थिक स्वालम्बन बढता है। राजनीति के क्षेत्र में भी उच्च पदों पर प्रतिनिधित्व करके अपनी माँगो ंको रखने में उनको मनमाने की ताकत बढ़ती है। हमारा मकसद होना चाहिए कि महिलाएँ सम्मान एवं गरिमा के साथ रह सके और राष्ट्र निर्माण मे ंमहत्वपूर्ण भूमिका निभा सके।

निष्कर्ष रूप स ेकहा जा सकता है कि महिला सशक्तीकरण की कल्पना को वास्तविकता मे ंपरिणित करने के लिए हम सभी को चाहे वह पुरूष हो या स्त्री दिमाग मे ं भरे नकारात्मक व हीनता के विचार को फेंक देना होगा। साथ ही सभी को यह स्पष्ट होना चाहिए कि महिलाओं का सशक्त होना केवल महिलाओं के हित में नहीं बल्कि सम्पूर्ण समाज और राष्ट्र के हित में है। कोई भी राष्ट्र या समाज महिलाओ ंकी स्वतन्त्रता एवं उन्नति के बिना सम्पूर्ण विकास नहीं कर सकता। स्त्रियों को भी अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए स्वयं जागरूक होकर, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी होने की आवश्यकता है, तभी महिला सशक्तीकरण का सपना पूरा हो सकेगा। सन्दर्भ ग्रन्थ सचूीः–

1. द्विवेदी पूनम– महिला सशक्तीकरण और वर्तमान कानून
2. द्विवेदी राकेश– महिला सशक्तीकरणः चुनौतियाँ और रणनीतियाँ
3. सुनील गोयल, संगीता गोयल– भारतीय समाज मे ंनारी
4. डॉ0 वीरेन्द्र सिंह यादव– इक्सीसवीं सदी का महिला सशक्तीकरण
5. तिवारी, आर0पी0– भारतीय नारीः वर्तमान समस्याए ंएवं भावी समाधान
6. गुप्ता, कमलेश– महिला सशक्तीकरण
7. शर्मा, प्रज्ञा– महिला विकास और सशक्तीकरण